न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 04/2019(2019/00243)

अनवान : –

1. शान्ति पुत्र मूलाराम पत्नी रूपाराम जाति खाती निवासी वार्ड न0 1 खोपड़ा, खोपरान मेघाना, तहसील नोहर।
2. ज्याना पुत्री मूलाराम पत्नी रामकुमार जाति खाती निवासी वार्ड न0 1 खोपड़ा, खोपरान मेघाना, तहसील नोहर।

अपीलान्ट।

बनाम

1. पृथ्वीसिंह पुत्र मूलाराम जाति खाती निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
2. ग्राम पंचायत डूंगराना पंचायत समिति भादरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डूंगराना तहसील भादरा।

रेस्पोडेन्टस

प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने
नामान्तरकरण संख्या 39
अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री महेन्द्र जांगिड़ अपीलान्ट
श्री नरेश कुमार रेस्पोडेन्ट

आदेश दिनांकः 04/03/2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस की ओर से एक अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध इन्तकाल संख्या 39 दिनांक 14.10.1976 रोही मौजा ग्राम डूंगराना पटवार हल्का डूंगराना को अपास्त कर पुनः इन्तकाल खोले जाने हेतु अपील प्रस्तुत की। ग्राम डूंगराना के मुरब्बा नम्बर 84 की 3.845 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट पृथ्वीसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, इसी प्रकार ग्राम डूंगराना के खसरा न0 655 की 4.5270 है0, खसरा न0 683 की 5.7540 हैक्टेयर इस प्रकार कुल खसरा 2 की कुल 10.2810 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट पृथ्वीसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

रेस्पोडेन्ट पृथ्वीसिंह ने हल्का पटवारी को इंतकाल परिवर्तन के संबंध में किये गये आवेदन में अपीलान्ट को नही दर्शाते हुये छपे तौर पर नामान्तरकरण अकेले खुद के नाम से स्वीकृत करवा लिया तथा ग्राम पंचायत डूंगराना [illegible] [illegible]च किये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुंचाने के आशय से नामान्तरकरण स्वीकृत [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible]पोडेन्ट को जरिये सम्मन [illegible] किया गया। सम्मन तामिल होने के अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया। जो तस्दीक बाद शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 स0 04/19 अनुवान शान्ति आदि बनाम पृथ्वीसिंह आदि धारा 75 एलआरएक्ट

बहस अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्ट मूलाराम के तीन वारिस है। रेस्पोडेन्ट पृथ्वीसिंह ने अपीलान्टगण के नाम छुपाकर ग्राम पंचायत डूंगराना से नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया जिससे अपीलान्ट के अधिक़ारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वकील रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि पृथ्वीसिंह द्वारा जानबुझकर वारिसान को नही छुपाया गया है तथा अपीलान्टगण अपने हिस्से में आने वाली भूमि लेने के लिए स्वतंत्र है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा हो चुका है। जो शामिल पत्रावली है।

बहस अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए नामान्तरकरण संख्या 39 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा वाद भूमि की बाबत तस्दीक किये गये इन्तकाल संख्या 39 दिनांक 14.10.1976 को खारिज किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार भादरा को प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि कि रोही मौजा डूंगराना के नामान्तरकरण संख्या 39 को खारिज किया जाकर वारिसान की जांच कर पुनः विधिवत रूप से नामान्तरकरण दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested